

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—:कार्यालय आदेश:—

राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक—एफ—1(2)एफडी(रूल्स)06 पार्ट—1 जयपुर दिनांक 11.06.2014 एवं एफ1(2)एफडी (रूल्स)06/पार्ट—1 दिनांक 07.08.14 तथा दिनांक 08.08.19 एवं एफ1(2)(रूल्स)06/पार्ट—1 दिनांक 25.10.2019 की अनुपालना निम्नलिखित परिवीक्षाधीन व्याख्याताओं (प्रोबेशनर—ट्रेनी) का उनके चिकित्सा प्रमाण पत्र/निजी कारणों के आधार पर उनके नाम के सामने अंकित अवधि का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम 06 के अन्तर्गत एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:—

क्र.स	नाम कार्मिक	पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि	आवेदित अवकाश अवधि	स्वीकृत अवकाश के दिनों की संख्या
1	हरगोविन्द व्या.वाणिज्य	राउमावि शेरों—बीकानेर	24.08.21 से 28.08.21—05 दिवस 06.09.21 से 11.09.21—06 दिवस 17.09.21 से 30.09.21—14 दिवस कुल 25 दिवस	24.08.21 से 28.08.21—05 दिवस 06.09.21 से 11.09.21—06 दिवस 17.09.21 से 30.09.21—14 दिवस कुल 25 दिवस

संबंधित संस्थाप्रधान द्वारा उक्त कार्मिकों की सेवा पुस्तिका में असाधारण अवकाश का इन्द्राज किया जावे। स्वीकृत असाधारण अवकाश अवधि का यदि वेतन आहरित किया गया है तो उसका नियमानुसार समायोजन करें।



(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/इति-वाणि/स्थायी/अ.अवकाश/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय)।
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
5. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक
6. रक्षित पत्रावली।

दिनांक:— 06/01/2022.

संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर